



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 24, 2008/माघ 4, 1929

No. 101]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 24, 2008/MAGHA 4, 1929

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2008

का.आ. 137(अ).—डिजाइन नियम, 2001 का कतिपय नियमों में संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 16) की धारा 47 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रारूप प्रकाशित करती है और उक्त धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह सूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों को जो उक्त प्रारूप नियमों के बाबत पूर्वोक्त अवधि के समाप्त होने से पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ;

उक्त प्रारूप नियमों की बाबत यदि कोई आक्षेप और सुझाव करने का इच्छुक कोई व्यक्ति उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसे सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग) उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110001 को भेज सकेगा, उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डिजाइन (संशोधन)नियम, 2008 है ।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- डिजाइन नियम, 2001 में (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 3 में

(क) पार्श्वशीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात् :-

“ दस्तावेजों को देने और उनके तामील करने की रीति” ।

(ख) उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखें, अर्थात् :- “ अधिनियम या इन नियमों के अधीन कार्यालय या नियंत्रक या किसी अन्य व्यक्ति को फाइल करने, उनको छोड़ने, किए जाने या दिए जाने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित कोई आवेदन, सूचना या अन्य दस्तावेज दस्ती तौर पर या पूर्व संदत्त पत्र नियंत्रक या उस व्यक्ति को डाक या कोरियर सेवा या सम्यक् रूप से प्राधिकृत इलैक्ट्रानिक पारेषण द्वारा प्रेषित किया जा सकेगा, यदि इसे पूर्व संदत्त पत्र या कोरियर सेवा या सम्यक् रूप से प्राधिकृत इलैक्ट्रानिक पारेषण द्वारा प्रेषित किया जाता है तो इसे उस समय फाइल किया गया, छोड़ा गया, किया गया या दिया गया माना जाएगा जब कि उसे अंतर्विष्ट करने वाला पत्र, उसे डाक के साधारण अनुक्रम में वितरित होता है और ऐसे प्रेषण को साबित करने के लिए यह सिद्ध करना पर्याप्त होगा कि पत्र पर उचित रूप से पता लिखा गया था और उसे भेजा गया था । परंतु कोई आवेदन, सूचना या दस्तावेज, फैंक्स या इलैक्ट्रानिक डाक द्वारा भेजा जाता है यह भी समझा जाएगा कि उसे फाइल किया गया है, छोड़ा गया है, किया गया है या दिया गया है यदि वह साफ और पूर्णतया सुस्पष्ट है और यह यथास्थिति, उसकी मूल और कागज प्रति है और यह कार्यालय में दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से इस प्रकार फैंक्स की गई या इलैक्ट्रानिक डाक द्वारा भेजे जाने के पन्द्रह दिन के भीतर कार्यालय में जमा कर दी गई है । सिवाय उसके जहां दस्तावेजों के साथ फीस अपेक्षित है ।

(ग) उपनियम (4) में “ फीस के साथ” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

3. मूल नियम के नियम 5 के उपनियम (2) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

(क) “ इन नियमों के अधीन संदेय फीस या तो नकद में या इलैक्ट्रानिक साधनों के द्वारा या बैंक के ऐसे मांगदेय ड्राफ्ट या चैक द्वारा संदाय होगी जो नियंत्रक को संदाय है और अनुसूचित बैंक में जहां उनका कार्यालय स्थित है आहरण किया जा सकता है ।

(ख) जहां किसी दस्तावेज के संबंध में कोई फीस संदेय हो दस्तावेज के साथ पूरी फीस होगी ।

(ग) किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में एकबार संदत्त फीस साधारण अनुक्रम में इसको विचार में लाए बिना कि कोई कार्यवाही हुई थी या नहीं, वापिस नहीं होगी ।”

4. मूल नियम के नियम 7 के उपनियम (1) में “ए 4 आकार के सफेद मजबूत कागज पर केवल एक ओर उसके बाईं ओर डेढ़ इंच या” शब्दों, अंक और अक्षर के स्थान पर, “ए 4 आकार के सफेद कागज पर (210 एम एम X 296.9 एमएम केवल एक ओर उसके बाईं ओर)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

5. मूल नियम के नियम 14 में, --

(क) उपनियम (1) में “ डिज़ाइन के नमूने” शब्द के पश्चात्, “ जिसके अंतर्गत कंप्यूटर ग्राफिक भी है ” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ प्रत्येक रूपण चाहे वह किसी एकल वस्तु या संवर्ग पर प्रयोग किए जाने के लिए हो, ए 4 आकार के (210 एमएम X 296.9 एमएम के मजबूत कागज पर (और कार्डबोर्ड पर नहीं) एक ओर ही होगा। आकृति या आकृतियां शीट पर सीधी स्थिति में होंगी और शीट पर ऐसी आकार में होंगी जिसके ब्यौरे स्पष्ट रूप से दृष्टव्य हों। जब एक से अधिक आकृतियां प्रदर्शित हों, जहां तक संभव हो एक ही शीट पर प्रदर्शित की जाएं और प्रत्येक को अभिहित किया जाए (जैसे परिदृश्य : अग्रदृश्य, पार्श्व दृश्य)।

(ग) उप नियम (7) में, “5 X 4 इंच या ” अंकों और शब्दों का लोप किया जाएगा।

(घ) उप नियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(9) फोटोचित्र रूपण कागज पर केवल कठोर आसंजक की सहायता से लगाए जाएंगे किसी अन्य साधन द्वारा नहीं जिसके अंतर्गत स्टैपलर पिन या सैलो टेप भी है।

(10) जहां फोटोचित्र रूपण कागज पर प्रयोग किए जाते हैं उसकी रूपण कागज पर चार कृतियां होंगी जिन्हें किसी सैलो फेम/रेखांकन कागज या किसी अन्य कागज से आच्छादित नहीं किया जाएगा।

6. मूल नियम के नियम 15 के उपनियम (2) में “ जिसे अनुसूची प्रथम में विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप 18 में किए गए आवेदन पर” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

7. मूल नियम के नियम 16 के उपनियम (1) में, “उपधारा (1)” शब्दों कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् “ और उपधारा (5)” शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

8. मूल नियम 17 के अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा “नियंत्रक स्वीकार करने के पश्चात् नियमों की पंचम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा।”

9. मूल नियम के नियम 18 के उपनियम (1) के परंतुक के अंत में निम्नलिखित अंतस्थापित किया जाएगा, -- “या अतिरिक्त अवधि के लिए जो आवेदक या उसके अभिकर्ता द्वारा छह मास की नियत अवधि की समाप्ति से पहले प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप 18 में किए गए किसी निवेदन पर तीन मास से अधिक न होगी।”

10. मूल नियम के नियम 21 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ 21. नियत अवधि के भीतर अननुपालन. -- आवेदक की किसी उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण जिसे आवेदन की तारीख से छह मास के भीतर या आवेदक की तारीख से नियम 18 में यथाविनिर्दिष्ट विस्तारित अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रभावी करने के लिए पूर्ण नहीं किया जाता है तो उसे परित्तक्त समझा जाएगा।”

11. मूल नियम के नियम 22, नियम 25, नियम 27 और नियम 49 में राजपत्र शब्द जहां जहां आते हैं, उनके स्थान पर, “पेटेंट अधिनियम, 1970(1970 का 49)की धारा 145 में निर्दिष्ट जनरल” शब्द, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे।

12. मूल नियम 28 के उपनियम (2) में, “अनुरोध” शब्द के स्थान पर “फाइल” शब्द रखा जाएगा।

13. मूल नियम, 29 में,

(क) उप नियम (1) में “विवरण” शब्द के पश्चात् “और साक्ष्य” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उप नियम (1) में “कथन” शब्द के पश्चात् “और साक्ष्य” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ग) उपनियम (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“ (3) यदि रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी आवेदन के विरोध का आशय रखता है तो वह नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाली समय के भीतर प्रतिकथन और साक्ष्य जिसमें ऐसे आधार दिए जाएंगे जिन पर वह आवेदन के विरोध का आशय रखता है, कार्यालय में फाइल करेगा और साथ ही उसकी एक प्रति आवेदक को भी परिदत्त करेगा।

(4) आवेदक, रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के प्रतिकथन और साक्ष्य प्राप्त होने के पश्चात् अपने मामले के समर्थन में शपथ पत्र द्वारा कार्यालय में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा और साथ ही साथ उसकी प्रति भी रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को भी देगा।”

(घ) उपनियम (5) और (6) का लोप किया जाएगा।

(ङ) उपनियम (9) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ (9) प्रतिकथन और साक्ष्य फाइल करने या प्रतिसाक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात समय साधारणतया एक मास का होगा जिसे नियंत्रक पक्षकार द्वारा प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ समय विस्तार के लिए याचिका पर विशेष आदेश द्वारा दे सकेगा :

परंतु किसी भी दशा में इस प्रकार किया गया विस्तार कुल तीन मास से अधिक नहीं होगा ।”।

(च). उप नियम (10) में, —

“ उपनियम (3) से (8) ” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “ उपनियम (1) से (4) ” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

14. मूल नियम के नियम 40 में, —

(क) उपनियम (2) में, “ लिखित कथन ” शब्दों के पश्चात् “ और साक्ष्य ” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपनियम (3) में, “ लिखित कथन ” शब्दों के पश्चात् “ और साक्ष्य ” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपनियम (4) में, “ उपनियम (4) से (13) ” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “ उपनियम (3) से (11) ” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

15. मूल नियम के नियम 47 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“ 47. समय बढ़ाने की साधारण शक्ति - कोई कार्य करने के लिए इन नियमों द्वारा विहित कोई समय या कोई कार्यवाही करने के लिए जहां कोई विशेष उपबंध इसके अधीन नहीं किया गया है नियंत्रक द्वारा विस्तारित किया जा सकेगा वह अवधि तीन मास से अनधिक न होगी यदि वह उचित समझे तो ऐसे निबंधनों पर जैसा वह निदेश दें, बढ़ाया जा सकेगा ।

48. अंकीय हस्ताक्षर — हस्ताक्षर यथाअपेक्षित जहां लागू हों, इन नियमों के अधीन हो सकेंगे, जिसके अंतर्गत अंकीय हस्ताक्षर भी हैं ।” ।

16. मूल नियम की प्रथम अनुसूची में,

(क) मद संख्या 2, 19, 26 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ 2	आवेदक या संयुक्त आवेदक के रूप में कार्यवाही करने के लिए धारा 8 (1) और (5) के अधीन दावा करने पर	2	500.00
19	नियम 15 और नियम 18 के अधीन पूर्विक्ता दस्तावेज फाइल करने के विस्तार करने के आवेदन पर	18	200.00 (प्रति मास)
26	समय बढ़ाने के लिए नियम 29, नियम 40, नियम 47 के अधीन याचिका		500.00”

17. मूल नियम की द्वितीय अनुसूची में, --

(क) प्ररूपों की सूची में, “धारा या नियम” शीर्ष के अधीन प्ररूप संख्या, - “ 2” के सामने, “ धारा 8(1)” शब्द, अक्षर और कोष्ठक के स्थान पर, “धारा 8 (1) और (5)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे और प्ररूप संख्यांक “ 18” के सामने, “ नियम 15” शब्द, और अंक के स्थान पर, “नियम 15 और नियम 18” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(ख) प्ररूप (1) में, -

“ (i) देश का नाम ।

(ii) शासकीय तारीख

(iii) शासकीय संख्यांक, ” शब्दों अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर “ (i) देश/अंतर्शासकीय संगठन का नाम

(ii) फाइल करने की तारीख,

(iii) आवेदन संख्यांक

(iv) आवेदक का नाम ” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

(ख) अंत में, “ पेटेंट कार्यालय” शब्दों के पश्चात्, “ कलकत्ता” शब्द का लोप किया जाएगा ।

(ग) प्ररूप 2 में, (i) “ धारा 8(1) ” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “ धारा 8(1) और (5)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

(ii) प्ररूप 2 से 17 और 19 से 23 के अंत में, “ कलकत्ता” शब्द का लोप किया जाएगा ।

(घ) प्ररूप 18 में, --

(क) “नियम 15 देखिए” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “ [नियम 15 और नियम 18 देखिए]” शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) पैरा 2 में, “ आवेदन संख्यांक..... ” शब्दों के पश्चात्, “ या (ii) आवेदन संख्यांक..... के संबंध में नियम 18 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विस्तारित अवधि को ” शब्द, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(ग) अंत में “पेटेंट कार्यालय” शब्दों के पश्चात् “कलकत्ता” शब्द का लोप किया जाएगा ।

(घ) दूसरी अनुसूची के सभी प्ररूपों के प्रारंभ में “ डिजाइन नियम, 2001 ” शब्द अंभःस्थापित किए जाएंगे ।

18. मूल नियम की तृतीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

“तृतीय अनुसूची

भालों का वर्गीकरण

नियम 10 देखिए

वर्गों और उपवर्गों की स्पष्टीकारक टिप्पण सहित सूची

वर्ग 1

खाद्य पदार्थ

टिप्पण : (क) जिसमें मानव के लिए खाद्य पदार्थ, पशु के चारे और आहार खाद्य भी सम्मिलित है ।

(ख) जिसमें पैकेज (वर्ग 09) सम्मिलित नहीं है ।

01-01	बेकरी के उत्पाद, बिस्कुट, पेस्ट्री, सेबई और अन्य अन्न उत्पाद, चाकलेट, मिष्ठान, बर्फ
01-02	फल और शाक
01-03	पनीर, मक्खन और मक्खन के स्थानापन्न, अन्य डेयरी उत्पाद
01-04	पालतू मुर्गी, बत्तख आदि का मांस (जिसमें सूअर के मांस के उत्पाद भी सम्मिलित है), मछली
01-05	(रिक्त)
01-06	पशुओं के चारे
01-99	प्रकीर्ण

वर्ग 2

पहनावा और बिसाती वस्तुएं

टिप्पण : गुड़िया के पहनावे की वस्तु (वर्ग 21-01) आग आपदा के विरुद्ध संरक्षण, दुर्घटना के निवारण और बचाव के लिए विशेष उपस्कर (वर्ग 29) और पशु के कपड़े वर्ग (30-01) सम्मिलित नहीं है।

02-01 अंतःवस्त्र, अधोवस्त्र, चोली, अंगिया, रात्रि परिधान

टिप्पण : विकलांग चोली और शरीर के सौम वस्त्र सम्मिलित है

2. जिसमें घर के सौम वस्त्र सम्मिलित नहीं है।

02-02 वस्त्र

टिप्पण : 1. जिसमें (ख) में प्रदर्शित अपवादों के सिवाय, लोम चर्म के कपड़े, नहाने की पोशाक, खेलने के पहनावे और विकलांग वस्त्र, सभी किस्मों के वस्त्र सम्मिलित है।

2. अधोवस्त्र वर्ग (02-01) या वर्ग 02-03, 02-04, 02-05, 02-06 में रखे गए वस्त्र सम्मिलित नहीं हैं।

02-03 सिर के पहरावे

टिप्पण : जिसमें पुरुष महिलाओं और बच्चों के सिर के सभी प्रकार के पहनावे सम्मिलित हैं।

02-04 जूते मोजे और जुराबें

टिप्पण : जिसमें खेल कूद के पैरों के लिए विशेष जूते जैसे फुटबाल, बर्फ पर फिसलने और बर्फ हाकी विकलांगों के जूते और मोजे, कसकर बंधे हुए गुल्फ गौण या अन्य पहनावे सम्मिलित हैं।

02-05 टाई, दुपट्टा, गुलूबंद और रूमाल

टिप्पण : जिसमें सभी "पतले" वस्त्रों के उपसाधन सम्मिलित हैं।

02-06 दस्ताने

टिप्पण : जिसमें शल्य चिकित्सा और घरेलू उपयोग या विभिन्न व्यवसायों या खेल-कूदों के उपयोग के लिए रबर या प्लास्टिक के दस्ताने सम्मिलित हैं।

02-07 बिसाती और पोषाकों के उपसाधन

टिप्पण : 1. जिसमें बटन, वस्त्रों के लिए, सिर के पहनावे के लिए और पैरों के पहनावे के लिए बक्सुए फीते, पिन हाथ की सिलाई, बुनाई और कढ़ाई के उपस्कर और वस्त्रों के उपसाधन जैसे घंटियां, गैलिस, बंधनी सम्मिलित हैं।

2. जिसमें सूत या अन्य धागे (05-01), सजावटी गोटा पट्टी (05-04), सिलाई, बुनाई और

कढ़ाई की मशीनों सम्मिलित नहीं हैं।

02-99

प्रकीर्ण

वर्ग - 3

यात्रा के सामान, डिब्बे, छत्ते और वैयक्तिक सामान, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं।

बक्से, सूटकेस, ब्रीफकेस, हाथ के थैले, चाबी के धारक, रखी जाने वाली वस्तुओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए डिब्बे, बटुआ और सामान वस्तुएं।

टिप्पण :

जिसमें माल के परिवहन के लिए वस्तुएं (वर्ग 09) या सिगार केस और सिगरेट के (वर्ग 27-06) सम्मिलित नहीं है।

03-02

(रिक्त)

03-03

छत्तरियां, छत्ते झिलमिली और टहलने की छठियां

03-04

पंखे

03-99

प्रकीर्ण

वर्ग 4

झाड़न

04-01

सफाई के लिए ब्रश, झाड़ू

टिप्पण :

जिसमें कपड़े के ब्रश सम्मिलित (वर्ग 04-02) नहीं हैं।

04-02

प्रसाधन ब्रश, कपड़े के ब्रश और जूते के ब्रश

टिप्पण :

“प्रसाधन ब्रश” से शारीरिक उपयोग के लिए ब्रश और उदाहरणार्थ नाखूनों या दांतों के लिए ब्रश अभिप्रेत है।

04-03

मशीन के लिए ब्रश

टिप्पण :

“मशीन के लिए ब्रश” से मशीनों में या विशेष यानों में लगे हुए ब्रश अभिप्रेत हैं।

04-04

पुताई के लिए ब्रश, खाना पकाने में प्रयोग होने वाले ब्रश

04-99

प्रकीर्ण

वर्ग 5

टेक्सटाइल, पीस गुड्स, कृत्रिम और प्राकृतिक चादर सामग्री

टिप्पण : 1. सभी टेक्सटाइल या समान वस्तुएं जो कि गज द्वारा और बिना बनी हुए विक्रय की जाती हैं सम्मिलित हैं ।

2. बनी-बनाई वस्तुएं (वर्ग 02 या 06) सम्मिलित नहीं हैं ।

05-01 बुनी हुई वस्तुएं ।

टिप्पण : 1. जिसमें सूत या धागे सम्मिलित हैं ।

2. जिसमें रस्से के तार, नाड़े, डोरी (वर्ग 09-06) सम्मिलित नहीं है ।

05-02 किनारी

05-03 कढ़ाई

05-04 फीता, गोटा और अन्य सजावटी अलंकरण

05-05 टेक्सटाइल कपड़े

टिप्पण : टेक्सटाइल कपड़े, व्युत्तित, बुने हुए या अन्य किसी प्रकार से निर्मित तिरपाल, नमदा और पर्तें सम्मिलित हैं ।

05-06 कृत्रिम या प्राकृतिक चादर पदार्थ

टिप्पण : 1. चादरें जिनकी लाक्षणिक विशेषताएं सतह का अलंकरण या उनकी बनावट, विशेषतया आवरण चादर जैसे भित्ति पत्र, किरमिच का बिछाने का कपड़ा, स्वतः आसंजक प्लास्टिक चादर लिपटने की चादर और कागज की गोल गड्डी (ख) के अधीन दर्शित अपवादों के अधीन रहते हुए सम्मिलित हैं ।

2. जिसमें लेखन कागज, चाहे वह लिपटा हुआ हो (वर्ग 19-01) या भवन संघटक के रूप में उपयोग आने वाली दीवार के फलक, तख्तबंदी सम्मिलित नहीं है ।

05-99 प्रकीर्ण

वर्ग 6

साज सामान

टिप्पण : 1. विविध सज्जा की वस्तुओं में सम्मिलित घटक जिसमें वर्ग 06-05 में वर्गीकृत विभिन्न उपवर्गों में सम्मिलित पदार्थ सम्मिलित है ।

2. फर्नीचर के सेट, उस सीमा तक जहां तक वह एक डिजाइन इनकी तरह दिखती है, 06-05 में वर्गीकृत हैं ।

3. जिसमें टैक्सटाइल थान वाले कपड़े सम्मिलित नहीं हैं (वर्ग 5)।
- 06-01 आसन
- टिप्पण : 1. जिसके अंतर्गत सभी आसन चाहे लेटने के लिए जैसे कि तख्त, पलंग, दीवान, (सोफा) ओटोमान्स यदि वह के लिए तख्त और सोफा भी हैं।
2. इसके अंतर्गत यान की सीट भी है।
- 06-02 शैय्या
- टिप्पण : 1. जिसके अंतर्गत गद्दे भी है
2. इसके अंतर्गत लेटने के लिए उपयुक्त आसन (वर्ग 8-01) जैसे तख्त, पलंग, दीवान, ओटोमानस, सउना के लिए तख्त और सोफा सम्मिलित नहीं हैं।
- 06-03 मेजें और समान सज्जा सामग्री
- 06-04 गोदाम की सज्जा सामग्री
- टिप्पण : जिसमें अलमारी सज्जा सामग्री सहित मेज की दसाज या अन्य खाने सम्मिलित हैं।
- 06-05 विविध साज - सज्जा
- 06-06 अन्य सज्जा - सामग्री और साज- सामग्री के भाग
- 06-07 दर्पण और चौखट
- टिप्पण : जिसमें अन्य वर्गों में सम्मिलित दर्पण सम्मिलित नहीं हैं (वर्णानुक्रम सूची देखिए)
- 06-08 पोशाक खूटी
- 06-09 गद्दे और तकिए
- 06-10 पर्दे और घर के अन्दर की झिलमिली
- 06-11 कालीन, दरी, गलीचा
- 06-12 दीवार दरी
- 06-13 कंबल और अन्य ढकने की सामग्री, घरेलू कपड़ा और मेजपोश
- टिप्पण : जिसमें साज - सामग्री के रक्षा आवरण, पलंगपोश, मेजपोश सम्मिलित हैं।
- 06-99 प्रकीर्ण

वर्ग 7

घरेलू वस्तुएं जो कहीं अन्य विनिर्दिष्ट नहीं हैं।

- टिप्पण : 1. इनमें घरेलू साधित्र और हाथ द्वारा चालित उपकरण, चाहे वे मोटर द्वारा चालित हों सम्मिलित है ।
2. इनमें खाद्य और पेय तैयार करने के लिए मशीनें और साधित्र (वर्ग 31) सम्मिलित नहीं हैं ।
- 07-01 चाइना, कांच का सामान, व्यंजन पात्र तथा समान प्रकृति की अन्य वस्तुएं ।
- टिप्पण : 1. इनमें व्यंजन पात्र और चीनी के बर्तन विशेषतः कागज और पत्ते के व्यंजन पात्र सम्मिलित हैं।
2. इनमें खाना पकाने के उपकरण और आधान जैसे कांच और मिट्टी के बर्तन (वर्ग-07-02) या पुष्प कलश, गमले और चाइना कांच का सामान (वर्ग 11-02) जो कि केवल सजावटी प्रकृति का है सम्मिलित नहीं है ।
- 07-02 खाने पकाने के साधित्र, उपकरण और आधान
- 07-03 खाने की छुरी, कांटे और चम्मच
- 07-04 खाना या पेय बनाने के लिए हाथ से काम आने वाले उपकरण
- टिप्पण : इनमें वर्ग 07-02 और वर्ग 31 में वर्गीकृत साधित्र और उपकरण सम्मिलित नहीं है ।
- 07-05 इस्तरी और धुलाई, सफाई और सुखाने के उपस्कर
- टिप्पण : जिसके अंतर्गत धुलाई, सफाई या सुखाने के लिए विद्युत के घरेलू उपकरण नहीं हैं ।
- 07-06 खाने के अन्य बर्तन
- 07-07 अन्य घरेलू पात्र
- 07-08 चूल्हा साधन
- 07-99 प्रकीर्ण
- वर्ग 8
- औजार और लोहे की वस्तुएं
- टिप्पण : 1. जिसमें हस्तचालित औजार भी हैं, चाहे वे उनमें यांत्रिक शक्ति के स्थान पर शारीरिक बल का प्रयोग होता हो, उदाहरणार्थ विद्युत आरियां और प्रभेदन ।
2. मशीनें या मशीनों के औजार (वर्ग 15 या 31) सम्मिलित नहीं है ।
- 08-01 प्रभेदक, भ्रमीवर्तन या खुदाई के औजार और साधन
- 08-02 हथौड़ा और अन्य सामान औजार और साधन
- 08-03 काटने के औजार और साधन
- टिप्पण : 1. काटने के लिए औजार और उपकरण सम्मिलित हैं ।
2. जिसमें खाने के चाकू (वर्ग 07-03), काटने के औजार और रसोई में उपयोग के साधन (वर्ग

	31) यां शल्य चिकित्सा में प्रयोग होने वाले औजार (वर्ग 24-02) सम्मिलित नहीं है।
08-04	पेचकस और अन्य सामान औजार और साधन
08-05	अन्य औजार और साधन
टिप्पण :	इनमें ऐसे औजार सम्मिलित हैं जिन्हें वर्गीकृत नहीं किया गया है या अन्य उपवर्गों या वर्गों में नहीं रखा गया है।
08-06	हथ्या, घुंडी और कब्जे
08-07	ताले या बंद करने की युक्तियां
08-08	बंधनी, अवलंब या आरोहण युक्तियां जो अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं है।
टिप्पण :	1. इनमें कील, पेंच, टिबरी और वोल्ट सम्मिलित हैं। 2. पोशाकों के लिए (वर्ग 02-07) अंलकरण के लिए; (वर्ग 11-01) या कार्यालय उपयोग के लिए बन्धनी युक्तियां सम्मिलित नहीं है।
08-09	दरवाजें, खिड़कियों और फर्नीचर तथा अन्य सामान वस्तुओं के लिए धातु फिटिंग्स और आरोहण
08-10	बायसायकिल और मोटर साइकिल रैक
08-99	प्रकीर्ण
टिप्पण :	इनमें गैर विद्युत केबल, बिना इस अपेक्षा के कि ये किस पदार्थ से बने हैं, सम्मिलित हैं।

वर्ग 9

	माल के परिवहन और उसकी उठाई-धराई के लिए पैकेज और आधान
09-01	बोतल, फ्लास्क, पात्र, कारबाय, तंग मुंह की कुंडी बोतल और डायनमिक वितरण साधन के साथ आधार
टिप्पण :	1. "पात्र" से ऐसे आधान अभिप्रेत है जो आधान के रूप में काम आ रहे हैं। 2. इनमें ऐसे पात्र सम्मिलित नहीं है जैसे चीनी के बर्तन (वर्ग 07-01) या गमले वर्ग (11-02)
09-02	भंडारण केन, पीपे और लकड़ी के पीपे
09-03	बक्से, केस, आधान, (परिरक्षण) टीन या केन
टिप्पण :	जिसमें ढुलाई आधान भी सम्मिलित है।
09-04	डलिया, टोकरा और टोकरी
09-05	थैले, सैशे, ट्यूब और कैप्सूल
टिप्पण :	1. इनमें हथ्या या बंद करने के साधन सहित अथवा रहित प्लास्टिक के बैग या सैशे सम्मिलित है

	2. “कैपसूल” वे हैं, जिन्हें पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है ।
09-06	रस्सा और छल्ला सामग्री
09-07	बंद करने के साधन और उपसाधन
टिप्पण :	1. जिसमें केबल पैकिंग के बंद करने के साधन सम्मिलित हैं । 2. “उप साधन” से उदाहरणार्थ आधान या अलग होने योग्य एटमाइज़र में संयोजित वितरण और मिश्रित युक्ति अभिप्रेत है ।
09-08	काटा उत्कर्ष के लिए प्रपदिका और पीठिका
09-09	उच्छिष्ट और कूड़ा करकट आधान और उन के लिए आधार
09-99	प्रकीर्ण

वर्ग - 10

	(दीवार घड़ी और कलाई घड़ियां तथा अन्य मापक उपकरण, जांच और संकेत उपकरण
टिप्पण	जिसमें विद्युत चालित उपकरण भी सम्मिलित हैं ।
10-01	दीवार घड़ी और अलार्म घड़ी
10-02	दीवार घड़ियां और कलाई घड़ी
10-03	अन्य समय मापक उपकरण
टिप्पण :	जिसमें समय मापक उपकरण जैसे पड़ाव मीटर, रसोई में उपयोग के लिए समय मापी और समान उपस्कर सम्मिलित हैं ।
10-04	अन्य मापक उपस्कर, उपकरण और युक्तियां
टिप्पण :	1. जिसमें ताप, दाब, भार, लंबाई, आयतन और विद्युत मापने के लिए उपस्कर, उपकरण और युक्तियां सम्मिलित हैं । 2. जिसमें उद्भासन मीटर (वर्ग 16-05) सम्मिलित नहीं है ।
10-05	जांच, सुरक्षा या परीक्षण के लिए उपकरण, उपस्कर और युक्तियां
टिप्पण :	जिसमें आग और चोर घंटी और विभिन्न प्रकार के संसूचक भी सम्मिलित हैं ।
10-06	संकेतक, उपकरण और युक्तियां
टिप्पण :	जिसमें यानों के लिए प्रकाश या संकेतक युक्तियां सम्मिलित नहीं हैं ।
10-07	मापने, जांच करने और संकेत देने के लिए उपकरणों के डायल, आवरण, हाथ और सभी अन्य हिस्से और उपसाधन

टिप्पण : “आवरण” से घड़ी और दीवार घड़ी के आवरण और सभी आवरण जो उपकरण की यांत्रिक को सुरक्षा प्रदान करते हैं अभिप्रेत हैं, किंतु ऐसे मामलों को छोड़कर जहां उन्हें उनकी अंतर्वस्तु के लिए (वर्ग 03-01) या पैकेजिंग के लिए (वर्ग 09-03) विनिर्दिष्ट रूप से डिजाइन किया गया है।

10-99

प्रकीर्ण

वर्ग 11

अंलंकरण की वस्तुएं

11-01

आभूषण

टिप्पण :

1. जिसमें अंलंकरण मय और अनुकृतियां सम्मिलित हैं।
2. जिसमें घड़ियां (वर्ग 10-02) सम्मिलित नहीं हैं।

11-02

साधारण गहने, चपटे तल में कटे रत्न, परदे और दीवाल की सजावट फूलदान और गमले

टिप्पण :

जिसमें मूर्तियां गतिशील और स्थिर मूर्तियां सम्मिलित हैं।

11-03

पदक और पद चिन्ह

11-04

कृत्रिम पुष्प, फल और पौधे

11-05

झंडे समारोह के अलंकरण

टिप्पण :

1. जिसमें माला पताका, किसमिस के पेड़ के अलंकरण भी सम्मिलित हैं।
2. जिसमें मोमबत्ती (वर्ग- 26-04) सम्मिलित नहीं हैं।

11-99

प्रकीर्ण

वर्ग 12

परिवहन या उत्तोलन के साधन

टिप्पण :

1. जिसमें भूमि, समुद्र, वायु, अंतरिक्ष और अन्य सभी यान सम्मिलित हैं।
2. जिसमें किसी अन्य वर्ग में न रखे जा सकने वाले पुर्जे हिस्से और उपसाधन जो किसी यान के संबंध में ही विद्यमान हैं सम्मिलित हैं; इन पुर्जों, हिस्सों और उपसाधनों को विचाराधीन यान

के उपवर्ग में सम्मिलित कई यानों में उपयोग के लिए हैं यदि वे विभिन्न यानों में समान है विभिन्न उपवर्गों में सम्मिलित है, उन्हें वर्ग 12-16 में रखा जाना है।

3. जिसमें सिद्धांततः ऐसे यानों के हिस्से, पुर्जे और उपसाधन सम्मिलित नहीं है जिन्हे अन्य उपवर्गों में रखा जा सकता है ; वे हिस्से पुर्जे और उपसाधन समान प्रकार की वस्तुओं के रूप में समान वर्ग में रखे जाने हैं, अन्य शब्दों में समान कृत्य वाले हैं। इस प्रकार, मोटरगाड़ी के लिए कालीन या पायदान, कालीन (वर्ग 06-11) के साथ रखे गए हैं, यानों के लिए विद्युत मोटर वर्ग 13-01 और यानों के लिए गैर विद्युत मोटरवर्ग 15-01 (ऐसे मोटर के हिस्सों के लिए समान लागू हैं) मोटर गाड़ी के शीर्ष लैंप के प्रकाश उपकरणों (वर्ग 26-06) के साथ रखा गया है, सम्मिलित नहीं है।

4. यानों के माडल मापमान (वर्ग 21-01) सम्मिलित नहीं है।

12-01	पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले यान
12-02	हाथ गाड़ी, ठेला
12-03	रेलवे के लिए चालित और चलस्टाक आदि अन्य रेलयान
12-04	विद्युत छकड़ा वाहन, कुर्सी लिफ्ट और खुली लिफ्ट
12-05	लदाई या परिवहन के लिए लिफ्ट और उत्तोलक
टिप्पण :	जिसमें यात्री लिफ्ट, माल लिफ्ट, केन, कौटा लिफ्ट ट्रक या वाहन पट्टा सम्मिलित है।
12-06	पोत और नौका
12-07	वायुयान और अंतरिक्ष यान
12-08	मोटरकार, बसें और लारी
टिप्पण :	जिसमें रोगी वाहन और प्रशीतक गाड़ी (सड़क) सम्मिलित है।
12-09	ट्रैक्टर
12-10	सड़क यान ट्रैलर
टिप्पण :	जिसमें बंद गाड़ियां भी सम्मिलित हैं।
12-11	साइकिल और मोटर साइकिल
12-12	बच्चा गाड़ी, अशक्त कुर्सी, स्ट्रैचर
टिप्पण :	1. 'बच्चा गाड़ी' से शिशुओं के लिए हाथ से खींची जाने वाली गाड़ी अभिप्रेत है। 2. जिसमें खिलौना बच्चागाड़ी सम्मिलित नहीं है।
12-13	विशेष प्रयोजन यान
टिप्पण :	1. इसमें ऐसे यान सम्मिलित है जो विशेष रूप से परिवहन के लिए आशयित नहीं है, जैसे सड़क

सफाई यान या छिड़काव लारी, दमकल, बर्फ हटाने की गाड़ी और सहायता गाड़ी सम्मिलित है।

2. जिसमें मिश्रित प्रयोजनों के लिए कृषि मशीनें (वर्ग 15-03) या सन्निर्माण और सिविल इंजीनियरों में प्रयोग के लिए स्वतः नोदित मशीनें सम्मिलित नहीं है।

12-14

अन्य यान

टिप्पण :

जिसमें स्लेज और एअरकुशन यान भी सम्मिलित है।

12-15

यानों के लिए टायर और फिसलन रोधी चनें

12-16

यानों के लिए पुर्जे, उपस्कर और उपसाधन जो अन्य वर्गों या उपवर्गों में सम्मिलित नहीं है।

12-99

प्रकीर्ण

वर्ग 13

विद्युत के उत्पादन, वितरण या पारेषण के लिए उपस्कर

टिप्पण :

1. जिसमें केवल विद्युत धारा के उत्पाद वितरण या पारेषण के उपकरण सम्मिलित हैं।

2. तथापि जिसमें किसी भी तरह की विद्युत मोटर सम्मिलित हैं।

3. जिसमें विद्युत चालित उपकरण जैसे विद्युत घड़ियां (वर्ग 10-02) या विद्युत धारा को मापने के लिए उपकरण सम्मिलित नहीं है।

13-01

जनित्र और मोटर

टिप्पण :

यान के लिए विद्युत मोटर सम्मिलित हैं।

13-02

विद्युत ट्रांसफार्मर, पस्त्रोधक, बैटरी और संचायक।

13-03

विद्युत के वितरण या नियंत्रण के उपस्कर।

टिप्पण :

जिसमें ब्रेक, स्विच और स्विच बोर्ड सम्मिलित हैं।

13-99

प्रकीर्ण।

वर्ग 14

रिक्वर्डिंग, संचार या सूचना पुनःप्राप्ति के लिए उपस्कर

14-01

ध्वनि या चित्रों की अंकन, पुनः प्रस्तुति और पुनः प्रस्तुतिकरण के लिए उपस्कर।

- टिप्पण : जिसमें छायाचित्रण या चलचित्र संबंधी उपकरण (वर्ग 16) सम्मिलित नहीं हैं ।
- 14-02 आंकड़े संसाधन उपस्कर इसके साथ ही उपांत उपकरण और युक्तियां
- 14-03 संचार उपस्कर, बेतार दूरस्थ नियंत्रक और रेडियो एंपलीफायर
- टिप्पण : जिसमें तार टेलीफोन और दूरदर्शन उपकरण इसके साथ ही बेतार उपकरण और तार लेखी सम्मिलित हैं ।
- 14-99 प्रकीर्ण ।

वर्ग 15

मशीनें, जो अन्यत्र कहीं विनिर्दिष्ट नहीं हैं ।

- 15-01 इंजन
- टिप्पण : 1. जिसमें यानों के लिए अविद्युत इंजन सम्मिलित हैं ।
2. जिसमें विद्युत मोटर (वर्ग 13) सम्मिलित नहीं है ।
- 15-02 पंप और संपीडक
- टिप्पण : जिसमें हाथ या पैर का पंप (वर्ग 08-05) या अग्नि शामक पंप (वर्ग 29-01) सम्मिलित नहीं है ।
- 15-03 कृषि संबंधी मशीनरी
- टिप्पण : 1. जिसमें जोतने और संयोजित मशीनरी अर्थात् मशीनें और यान दोनों, उदाहरण के लिए, कटाई और संयोजी मशीनें सम्मिलित हैं ।
2. जिसमें हाथ के औजार (वर्ग 8) सम्मिलित नहीं हैं ।
- 15-04 संनिर्माण मशीनरी
1. जिसमें सिविल इंजीनियरी और स्वतः नोदित मशीने जैसे कि एक्सकेवेटर्स, कंक्रीट मिश्रक और तल मार्जन सम्मिलित हैं ।
2. जिसमें उद्वाहक और क्रेन सम्मिलित नहीं हैं

- 15-05 धुलाई, सफाई और सुखाने की मशीनें
 टिप्पण : इनमें अस्तर और कपड़ों को उपचारित करने के उपकरण और मशीनें जैसे कि इस्तरी और निचोड़ने वाले यंत्र ।
 2. बर्तन धोने की मशीन और औद्योगिक सुखाने के उपकरण सम्मिलित हैं ।
- 15-06 वस्त्र, सिलाई, बुनाई और कढ़ाई मशीनें और उनके समेकित पुर्जे ।
- 15-07 प्रशीतक मशीनरी और उपकरण
 टिप्पण : 1. जिसमें घरेलू प्रशीतक उपकरण सम्मिलित हैं । (वर्ग 12-08)
 2. जिसमें प्रशीतक वेगन (रेल) (वर्ग 12-03) या प्रशीतक यान (सड़क) वर्ग (12-08) सम्मिलित नहीं है ।
- 15-08 रिक्त
- 15-09 मशीनी औजार, अपघर्षण और फाउंडिंग मशीनरी
 टिप्पण : जिसमें भूमि में कार्य करने वाली मशीनरी और सामग्री के पृथक्कारी सम्मिलित नहीं है
- 15-99 प्रकीर्ण
- वर्ग 16
 छाया चित्रण, चलचित्र संबंधी और दृष्टि विज्ञान संबंधी उपकरण
 टिप्पण : इनमें छाया चित्रण या चलचित्र संबंधी के लिए दीप (वर्ग-26-06) सम्मिलित नहीं हैं ।
- 16-01 फोटोग्राफिक कैमरा या फिल्म कैमरा
- 16-02 प्रक्षेपाक और दृश्यदर्शी
- 16-03 फोटोकापी उपकरण और चित्रवर्धक
 टिप्पण : जिसमें सूक्ष्म फिल्मिकरण उपस्कर और सूक्ष्म फिल्म देखने के लिए उपकरण और साथ ही ऐसी कार्यालय मशीनें जो फोटो प्रतिलिपि उपकरण के नाम से जानी जाती है और जो फोटो चित्रण प्रसंस्करण से भिन्न प्रकार से उपयोग की जाती है । (विशिष्टता तापीय, चुंबकीय प्रसंस्करण) सम्मिलित हैं ।
- 16-04 डेवेलप करने के उपकरण और उपस्कर
- 16-05 उपसाधन
 टिप्पण : जिसमें फोटोग्राफिक कैमरे के फिल्टर उद्भाषित मीटर, तिपाई और फोटोग्राफिक क्षणदीप उपकरण सम्मिलित हैं ।

- 16-06 दृष्टि विज्ञान संबंधी वस्तुएं
 टिप्पण : 1. जिसमें चश्में और सूक्ष्मदर्शी सम्मिलित हैं ।
 2. जिसमें ऐसा मापक उपस्कर जिसमें प्रकाशिक युक्ति हो, सम्मिलित नहीं हैं ।
 16-99 प्रकीर्ण

वर्ग 17

- संगीत संबंधी उपस्कर
 टिप्पण : जिसमें संगीत संबंधी उपकरणों के केसिज (वर्ग 03-01) या ध्वनि के अंकन या पुनःप्रस्तुतिकरण के उपस्कर (14-01) सम्मिलित नहीं है ।
 17-01 कुंजी फलक उपस्कर
 टिप्पण : जिसमें इलैक्ट्रोनिक और अन्य वाद्य, बलि वाद्य और यांत्रिक और अन्य पियानो सम्मिलित हैं ।
 17-02 सुषिर वाद्य
 टिप्पण : जिसमें वाद्य, हारमोनियम और बलि वाद्य और यांत्रिक और अन्य पियानों सम्मिलित नहीं हैं ।
 17-03 तंत्रीवाद्य
 17-04 आघातवाद्य
 17-05 यांत्रिक वाद्य
 टिप्पण : 1. जिसमें संगीत बाक्स सम्मिलित हैं ।
 2. जिसमें यांत्रिक कुंजी फलक उपस्कर (वर्ग 17-01) सम्मिलित नहीं हैं ।
 17-99 प्रकीर्ण

वर्ग 18

- मुद्रण और कार्यालय मशीनरी
 18-01 टाइपराइटर और परिकलन मशीन
 टिप्पण : जिसमें कंप्यूटर और अन्य उपकरण जो वर्ग 14-02 में हैं, सम्मिलित नहीं हैं ।
 18-02 मुद्रण मशीनें
 टिप्पण : 1. जिसमें टाइप सेटिंग मशीन, स्टीरियो टाइप मशीन और उपकरण, टाइपोग्राफिक मशीन और अन्य प्रत्युत्पादन मशीनें जैसे अनुलिपिक और आफ सेट उपस्कर और पतालेखी, फ्रैक्टिक रद्द

- करने वाली मशीनें सम्मिलित हैं ।
2. जिसमें फोटोकॉपी मशीनें (वर्ग 16-03) सम्मिलित नहीं हैं ।
- 18-03 टाइप और टाइप फेसिज
- 18-04 जिल्दसाजी मशीन, मुद्रक की स्टैपल मशीन, गुइलोटाइन्स और ट्रिमरस (जिल्दसाजी के लिए)
- टिप्पण : जिसमें कागज काटने के लिए गुइलोटाइन्स और ट्रिमरस के सदृश्य मशीनें और समान युक्तियां सम्मिलित हैं ।
- 18-99 प्रकीर्ण
- टिप्पण :
- वर्ग 19
- लेखन सामग्री और कार्यालय उपस्कर, कलाकार के और शिक्षण संबंधी सामग्री
- 19-01 लेखन कागज पत्राचार और उद्घोषणा के लिए कार्ड
- टिप्पण : जिसमें सभी प्रकार के कागज विस्तृत अभिप्राय में जो लेखन आरेखन चित्रकारी या मुद्रण जैसे अनुरेखन कागज, कार्बन कागज, अखबारी कागज, लिफाफे, बंधाई पत्र, सचित्र पोस्टकार्ड, भले ही यदि उनमें ध्वनांकन सन्निविष्ट हो ।
- 19-02 कार्यालय उपस्कर
- टिप्पण : 1. जिसमें नकद भुगतान की मेज पर उपयोग होने वाले उपस्कर जैसे रेजगारी छांटने के उपस्कर सम्मिलित हैं ।
2. अन्य उपवर्गों या वर्गों में रखे जाने वाले कुछ कार्यालय उपस्कर, उदाहरण के लिए वर्ग 06 में, कार्यालय सामग्री वर्ग 14-02 ; वर्ग 16-03 ; वर्ग 18-01 ; वर्ग 18-02 या वर्ग 18-04 में कार्यालय मशीन और उपस्कर और वर्ग 19-01 या वर्ग 19-08 में लेखन सामग्री (वर्णानुक्रम सूची देखिए)
- 19-03 कैलेंडर
- टिप्पण : जिसमें डायरी (वर्ग 19-04) सम्मिलित नहीं है
- 19-04 पुस्तकें और समान बह्य प्रकटन उद्देश्यों की अन्य वस्तुएं
- टिप्पण : पुस्तकों के जिल्द, जिल्दसाजी, पुस्तिका, डायरी और समान वस्तुएं भी सम्मिलित हैं ।
- 19-05 (रिक्त)
- 19-06 हाथ से लिखने, आरेखन, चित्रकारी, मूर्तिकला, नक्काशी के लिए और अन्य कला तकनीकों के सामग्री और उपकरण
- टिप्पण : जिसमें चित्रकारी के ब्रुश (वर्ग 04-04), चित्रकारी मेज और संबंधित उपस्कर (वर्ग 16-03) का

लेखन कागज (वर्ग 19-01) सम्मिलित नहीं है ।

19-07

शिक्षण सामग्री

टिप्पण :

1. जिसमें सभी प्रकार के नक्शे भूमंडल ग्लोब और तारागृह सम्मिलित हैं ।
2. जिसमें दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायकी सम्मिलित नहीं है ।

19-08

अन्य मुद्रित सामग्री

टिप्पण :

जिसमें मुद्रित विज्ञापन सामग्री सम्मिलित है ।

19-99

प्रकीर्ण

वर्ग 20

विक्रय और उपस्कर चिन्ह

20-01

स्वचालित विक्रय मशीन

20-02

प्रदर्शन और विक्रय उपस्कर

टिप्पण :

जिसमें सज्जा सामग्री (वर्ग 06) की वस्तुएं सम्मिलित नहीं हैं ।

20-03

चिन्ह सूचना पट्ट और प्रचार युक्तियां

टिप्पण :

1. जिसमें प्रदीप्त विज्ञापन युक्तियां और सचल विज्ञापन युक्तियां सम्मिलित हैं
- जिसमें पैकेज (वर्ग 09) या संकेतक युक्तियां (वर्ग 10-06) सम्मिलित नहीं है ।

20-99

प्रकीर्ण

वर्ग 21

खेल, खिलौने, शिविर और खेल का समान

21-01

खेल और खिलौने

टिप्पण :

1. जिसमें मापमान माडल सम्मिलित है
2. जिसमें पशुओं के लिए खिलौने (वर्ग 30-99) सम्मिलित नहीं है ।

21-02

व्यायाम और खेल उपकरण और उपस्कर

टिप्पण :

1. खेल उपस्कर विभिन्न खेलों के लिए आवश्यक उपकरण और उपस्कर जिनका कोई अन्य विशिष्ट प्रयोजन नहीं है, जैसे फुटबाल, स्की और टेनिस रैकेट, जो कि अन्य सभी उद्देश्यों के उपवर्जन के लिए हैं जिनका किन्हीं निश्चित खेलों के अभ्यास के लिए उपयोग किया जा सकता है ।

2. जिसमें (क) के अधीन वर्णित आरक्षण के अधीन रहते हुए, प्रशिक्षण उपस्कर और मैदान खेलों के आवश्यक उपकरण सम्मिलित हैं।
3. जिसमें खेलों के वस्त्र (वर्ग 02) हिमयान या स्लज (12-14) सम्मिलित नहीं है।
- 21-03 अन्य मनोविनोद और मनोरंजन की वस्तुएं
- टिप्पण : 1. जिसमें समतल आधार चक्करदार और अवसर के खेलों के लिए स्वचालित मशीनें सम्मिलित हैं।
2. जिसमें खेलकूद और खिलाणे (वर्ग 21-01), या वर्ग (21-01) या 21-02 में रखे जाने वाली अन्य वस्तुएं सम्मिलित नहीं हैं।
- 21-04 टेंट और उसके उपसाधन
- टिप्पण : 1. जिसमें खंभे, खूंटी और अन्य सदृश वस्तुएं सम्मिलित हैं।
2. जिसमें अन्य कैंप की वस्तुएं जो उनकी प्रकृति के अनुसार अन्य वर्गों में रखी जाती हैं जैसे कुर्सी (वर्ग 06-01), मेज (वर्ग 06-03) प्लेट (07-01) और कारवां (वर्ग 12-10) सम्मिलित नहीं हैं।
- 21-99 प्रकीर्ण

वर्ग 22

- आयुध, आतिशबाजी की वस्तुएं, आखेट, मत्स्य ग्रहण, जीव नाशी के लिए वस्तुएं
- 22-01 प्रक्षेप्य अस्त्र
- 22-02 अन्य अस्त्र
- 22-03 गोलाबारूद, राकेट, आतिशबाजी वस्तुएं
- 22-04 लक्ष्य और उपसाधन
- टिप्पण : जिसमें चल लक्ष्य को प्रेरित करने के लिए विशेष युक्तियां सम्मिलित हैं।
- 22-05 आखेटक और मत्स्य ग्रहण उपस्कर
- टिप्पण : जिसमें परिधान (वर्ग 02) या आयुध (वर्ग 2-01 या 22-02) सम्मिलित नहीं हैं।
- 22-06 जाल, जीव नाशी वस्तुएं
- 22-99 प्रकीर्ण

वर्ग 23

- तरल वितरण उपस्कर, सफाई, तापन, संवातन और वायुनुकूलित उपस्कर टोस ईंधन
- 23-01 तरल वितरण उपस्कर
- टिप्पण : जिसमें पाइप और पाइपों की फिटिंग सम्मिलित है ।
- 23-02 सफाई उपकरण
- टिप्पण : जिसमें स्नान, फुहारा, वाशबेसिन, भाप, स्नानघर, शौचघर, सफाई इकाइयां और सफाई उपसाधन जो अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं है ।
2. जिसमें पाइप या पाइपों की फिटिंग सम्मिलित नहीं है ।
- 23-03 तापन उपस्कर
- 23-04 संवातन और वातानुकूलन उपस्कर
- 23-05 टोस ईंधन
- 23-99 प्रकीर्ण

वर्ग 24

- आयुर्विज्ञान और प्रयोगशाला उपस्कर
- टिप्पण : “आयुर्विज्ञान उपस्कर” पद के अंतर्गत शल्य, दंत और पशु चिकित्सीय उपस्कर भी है ।
- 24-01 डाक्टर चिकित्सालयों और प्रयोगशाला के लिए चिकित्सा साधित्र उपस्कर
- 24-02 चिकित्सीय उपकरण, प्रयोगशाला प्रयोग के लिए उपकरण और औजार
- टिप्पण : जिसमें केवल हस्तचलित उपकरण सम्मिलित हैं ।
- 24-03 कृत्रिमांग वस्तुएं
- 24-04 चोट की मरहम पट्टी, परिचर्या और चिकित्सीय देखरेख के लिए सामग्री
- 24-99 प्रकीर्ण

वर्ग 25

	भवन निर्माण इकाईयां और संनिर्माण तत्व
25-01	भवन निर्माण सामग्री
टिप्पण :	जिसमें ईंट, कड़ी, पूर्व आकारित पट्टी, टाइलें, स्लेटें और पैनल सम्मिलित हैं ।
25-02	पूर्व निर्मित या पूर्व समवेत भवन भाग
टिप्पण :	1. जिसमें खिड़की, दरवाजे, बाहर के कपाट विभाजक दीवारें और ग्रेटिंग सम्मिलित हैं । 2. जिसमें सीढ़िया (वर्ग 25-04) सम्मिलित नहीं है
25-03	गृह गैराज, और अन्य भवन ।
25-04	पट्टी, सीढ़ियां और पाड
25-99	प्रकीर्ण

वर्ग 26

प्रकाश के साधन

26-01	मोमबत्ती और दीपाधार
26-02	मशाल और हस्त लैंप और लालटेन
26-03	सार्वजनिक प्रकाश के फिक्सचर
टिप्पण :	जिसमें बाहर के लैंप, मंच की प्रकाश और सर्चलाइट प्रक्षेपी सम्मिलित है ।
26-04	प्रदीप्त स्रोत, विद्युतीय या नहीं
टिप्पण :	जिसमें विद्युत लैंप बल्ब, प्रदीप्त फलक और ट्यूब और मोमबत्तियां सम्मिलित हैं ।
26-05	लैंप मानक लैंप, दीपवृक्ष, मोमबत्ती आधार, दीवार और छत के फिक्सचर, लैंपशेड परावर्तक, छायाचित्र और चलचित्र प्रक्षेपी लैंप
26-06	यानों के लिए प्रदीप्त युक्तियां
26-99	प्रकीर्ण

वर्ग 27

तंबाकू और धूम्रपानकर्ता के प्रदाय

27-01	तम्बाकू, सिगार और सिगरेट
27-02	पाइप, सिगार और सिगरेट धारक

27-03	राखदानी
27-04	माचिस
27-05	लाइटर
27-06	सिगार केश, सिगरेट केश, तम्बाकू मर्तबान और थैली
टिप्पण :	जिसमें पैकेज (वर्ग 09) सम्मिलित नहीं है ।
27-99	प्रकीर्ण

वर्ग 28

औषधीय और प्रसाधन उत्पाद, प्रसाधन सामग्री और उपस्कर

28-01	औषधीय उत्पाद
टिप्पण :	1. जिसमें पशुओं के लिए भी सम्मिलित है । 2. जिसमें मलहम पट्टी और परिचर्या (वर्ग 24-04) की सामग्री सम्मिलित नहीं है । 3. जिसमें संपुटिका, कैप्सूल, टिकियां, गोली और टेबलेट के रूप में रसायन सम्मिलित है ।
28-02	प्रसाधन उत्पाद
टिप्पण :	जिसमें पशुओं के लिए भी सम्मिलित है ।
28-03	प्रसाधन वस्तुएं और सौंदर्य प्रसाधन गृह उपकरण
टिप्पण :	1. जिसमें उस्तरा, उपकरण ओर बाल हटाने और केश प्रसाधन के उपकरण सम्मिलित हैं । 2. जिसमें प्रसाधन और श्रृंगार के बुश (वर्ग 04-02) या पशुओं के लिए वस्तुएं और उपस्कर (वर्ग 30-99) सम्मिलित नहीं है ।
28-04	बालों की टोपी, नकली बाल
28-99	प्रकीर्ण

वर्ग 29

अग्नि आपदा के विरुद्ध, दुर्घटनारोधी और बचाव की युक्तियां और उपस्कर

29-01	अग्नि आपदा के विरुद्ध युक्तियां और उपस्कर
टिप्पण :	1. जिसमें अग्निशामक सम्मिलित हैं

2. जिसमें अग्निशामक इंजन (यान) (वर्ग 12-13) मुक्त होज और पेटी आग होज की पेटी (वर्ग 23-01) सम्मिलित नहीं है ।
- 29-02 दुर्घटना रोकने और बचाव के लिए युक्तियां और उपस्कर जो अन्य कहीं विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं ।
- टिप्पण : पशुओं के लिए युक्तियां और उपस्कर सम्मिलित हैं ।
2. जिसमें हेल्मेट (वर्ग 02-03) और दुर्घटना के विरुद्ध बचाव के लिए पहरावे (वर्ग 02-02, 02-04 या 02-06) सम्मिलित नहीं है ।
- 29-99 प्रकीर्ण

वर्ग 30

पशु के देखरेख और हैंडलिंग की वस्तुएं

- टिप्पण : जिसमें पशुओं के खाद्य पदार्थ (वर्ग 01) या पशुओं के औषधीय और प्रसाधन उत्पाद (वर्ग 28-01 या 28-02) सम्मिलित नहीं हैं ।
- 30-01 पशु के वस्त्र
- 30-02 बाड़े, कटघरा, कुत्ताघर और छोटे सुरक्षा सृह
- टिप्पण : जिसमें भवन सम्मिलित नहीं है ।
- 30-03 चरही और नाद
- 30-04 घोड़े का साज समान
- टिप्पण : जिसमें पशुओं के लिए पट्टे सम्मिलित हैं ।
- 30-05 चाबुक और अंकुश
- 30-06 बिछोने और घोंसले
- 30-07 पक्षियों की छतरी और पिंजरों के अन्य संयोजन
- 30-08 चिन्हांकन, चिकनी मिट्टी और बेड़ी
- 30-09 फंदों के खूंटे
- 30-99 प्रकीर्ण

वर्ग 31

खाद्य या पेय तैयार करने के लिए मशीनें और उपकरण जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं ।

टिप्पण : जिसमें हाथ से संचालित होने वाले औजार उपस्कर खाद्य या पेय तैयार करने और परोसने के उपस्कर (वर्ग 07) सम्मिलित नहीं है ।

31-00 खाद्य और पेय के तैयार करने के लिए मशीनें और उपस्कर जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं ।

वर्ग 99

प्रकीर्ण

टिप्पण : जिसमें अन्य सभी उत्पाद जो पूर्व वर्गों में सम्मिलित नहीं हैं, सम्मिलित हैं ।

99-00 प्रकीर्ण

19. मूल नियम की चतुर्थ अनुसूची में :-

क. मद संख्यांक 6 ओर 7 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी ।

“ 6. नियम 29 (1) ओर 40(2) के अधीन कथन और साक्ष्य के लिए	200 रु०
7. नियम 29 (3) ओर 40() के अधीन प्रतिकथन और साक्ष्य के लिए	200 रु० ”

20. मूल अधिनियम और मूल अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“पंचम अनुसूची”
(नियम 17 देखिए)

मूल

भारत सरकार
पेटेंट कार्यालय
डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

डिजाइन संख्यांक
तारीख
व्यक्तिकारी तारीख.....
देश

प्रमाणित किया जाता है कि डिजाइन को जिसकी एक प्रति इसके साथ उपबद्ध है, डिजाइन नियम, 2000 और डिजाइन नियम, 2001 के उपबंधों के अनुसरण में और उनके अध्यक्षीन रजिस्ट्रीकृत उपर्युक्त दिए गए संख्यांक और तारीख, के रूप में ऐसी डिजाइन के आवेदन के संबंध में उपर्युक्त दिए गए वर्ग में श्री के नाम से

रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।

महानियंत्रक पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिन्ह

व्यक्तिकारी तारीख (यदि कोई हो) जिसे अनुज्ञात किया गया है और देश का नाम। डिजाइन में प्रतिलिप्यधिकारी रजिस्ट्रीकरण की तारीख 10 वर्ष के लिए अस्तित्व में रहेगा, और अधिनियम तथा नियमों के निबंधनों के अधीन पांच वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

यह प्रमाणपत्र विधिक कार्यवाहियों या विदेश में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के लिए उपयोग के लिए नहीं है।

जारी करने की तारीख

(कार्यालय की मुद्रा)

[फा. सं. 5/32/2007-आई.पी.आर.-V]

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :-मूल नियम भारत के राजपत्र में संख्यांक का.आ. 414(अ), तारीख 11 मई, 2001 को प्रकाशित किया गया है।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2008

S.O. 137(E).— The following draft of certain rules to amend the Designs Rules, 2001, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 47 of the Designs Act, 2000 (16 of 2000) is hereby published, as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the notification is published are made available to the general public;

Any objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government;

Any person desiring to make any objection or suggestions in respect of the draft rules, may forward the same for consideration by Central Government within the period specified above to the Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion), Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Designs (Amendment) Rules, 2007.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Designs Rules, 2001 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 3,-

(a) for the marginal heading, the following shall be substituted, namely :-

“Manner for leaving and serving documents.”

(b) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“Any application, notice or other document authorized or required to be filed, left, made or given at the Office, or to the Controller or to any other person under the Act or these rules, may be sent by hand or by a prepaid letter addressed to the Controller or to that person through post or courier service or by electronic transmission duly authenticated. If sent by a prepaid letter or courier service or by electronic transmission duly authenticated, it shall be deemed to have been filed, left, made or given at the time when the letter containing the same would have been delivered in the ordinary course of post or courier service or electronic transmission duly authenticated, as the case may be. In proving such sending, it shall be sufficient to prove that the letter was properly addressed and transmitted, provided that any application, notice or document sent through fax or by electronic mail shall also be deemed to have been filed, left, made or given if the same is clear and fully legible and its original or the paper copy, as the case may be, is submitted to the

office within fifteen days from the date of receipt of the document so faxed or electronically mailed except where the fee is required to be accompanied with the documents.”

(c) in sub-rule 4, the words “along with the fees” shall be omitted.

3. In rule 5 of the principal rules, in sub-rule 2, for clauses (a), (b) and (c), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(a) The fees payable under these rules may either be paid in cash or through electronic means or may be sent by bank draft or cheque payable to the Controller and drawn on a scheduled bank at the place where the office is situated.

(b) Where a fee is payable in respect of a document, the entire fee shall accompany the document.

(c) Fees once paid in respect of any proceedings shall not ordinarily be refunded irrespective of whether the proceeding has taken place or not.”

4. In rule 7 of the principle rules, in sub-rule (1)(a),- for the letter, figure and words “A4 size with a margin of at least one inch and a half or”, the words, brackets, figures and letters “A4 size (210 mm x 296.9 mm) with a margin of” shall be inserted.

5. In rule 14 of the principal rules,-

(a) in sub-rule (1), after the word “representation”, the words “ including computer graphics” shall be inserted.

(b) for sub-rule (3) the following sub-rule shall be substituted,-“Each representation of the design whether to be applied to a single article or to a set, shall be on durable paper of A4 size (210mm x 296.9 mm) (and not on cardboard) and shall appear on one side only of the paper. The figure or figures shall be placed in an upright position on the sheet *in size in which the details are clearly visible*. When more figures than one are shown, these shall, where possible, be on one and the sheet, and each shall be designated (e.g., perspective view; from perspective view; front view, side view)”.

(c) in sub-rule (7) figures and words “5 by 4 inches or” shall be omitted.

(d) after sub-rule (8) following sub-rules shall be inserted, namely:-

“(9) Photographs shall be pasted on the representation sheets firmly only with the help of strong adhesive, not by any other means including stapler pin and cellotape.

(10) Where photographs are used in the representation sheets, one of the four copies of the representation sheets shall not be covered with cellophane/tracing papers, or any other papers.”

6. In rule 15 of the principal rules, in sub-rule (2),- the following words shall be inserted at the end “on an application made in form 18 with the fee specified in the first schedule.”

7. In rule 16 of the principal rule, in sub-rule (1), - after the words, brackets and figures “sub-section (1)”, the word, bracket and figure “and (5)” shall be inserted.

8. In rule 17 of the principal rule, the following sentence shall be inserted at the end, “After acceptance the Controller will issue the certificate of registration as specified in the Fifth schedule of the rules”.

9. In rule 18 of the principal rule, in sub-rule (1), - in the proviso, the following shall be inserted at the end,—"or may be extended for a further period not exceeding three months on a request made in form 18 by the applicant or his agent along with the fee specified in the first schedule before the expiry of the stipulated period of six months."

10. For rule 21 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely:-

"21. **Non-completion within stipulated period.**- An application which owing to any negligence or default of the applicant, has not been completed so as to enable registration to be effected within six months or within extended period as specified in rule 18 from the date of application, shall be deemed to be abandoned."

11. In rule 22, 25, 27, 39 of the principal rules, the word "Gazette" wherever it occurs, - the words, figures and brackets "Journal referred to in section 145 of the Patents Act 1970 (39 of 1970)" shall be substituted.

12. In rule 28 of the principal rules, in sub rule 2, for the word "lodge", the word "file" shall be substituted.

13. In rule 29 of the principal rules,

(a) in sub-rule 1, after the word "statement" the words "and evidence" shall be inserted.

(b) in sub-rule 2, after the word "statement" the words "and evidence" shall be inserted.

(c) for sub-rules 3 and 4, the following sub-rules shall be substituted, namely:-

(3) If the registered proprietor intends to oppose the application he shall within a time to be specified by the Controller, *file* at the office a counter statement and evidence setting out the grounds on which he intends to oppose the application and shall deliver to the applicant a copy thereof simultaneously.

(4) The applicant may, after delivery to him of the copy of the registered proprietor's counter statement and evidence leave at the office, evidence in reply by way of affidavits in support of his case and shall also deliver to the registered proprietor a copy of thereof simultaneously.

(d) sub-rule 5 and 6 shall be omitted.

(e) for sub-rule 9 the following sub-rule shall be substituted, namely,-

"(9) The time allowed for filling the counter-statement and evidence or for leaving reply evidence shall ordinarily be one month which may be extended only by a special order of the Controller given on a petition with the fee specified in the first schedule made by party seeking extension of time.

Provided that the extension so granted shall in no case exceed three months in aggregate."

- (f) In sub-rule (10),-for the words, figures and brackets "sub rule (3) to (8)", the words, figures and brackets "sub-rules (1) to (4)" shall be substituted.

14. In rule 40 of the principal rule,

- (a) in sub-rule 2,- after the words "written statement" the words "and the evidence" shall be inserted.
- (b) in sub-rule 3,-after the words "written statement", the words "and evidence" shall be inserted.
- (c) in sub-rule 4,- for the words, figures and brackets "sub-rules (4) to (13)", the words, figures and brackets "sub-rules (3) to (11)" shall be substituted.

15. For rule 47 of the principal rule, the following rules shall be substituted namely:-

"47. General Power to enlarge time: The time prescribed by these rules for doing any act or taking any proceeding where no special provision is made thereunder may be enlarged by the Controller, for a period not exceeding three months, if he thinks fit, and upon such terms as he may direct.

48.-Digital Signature - The signature, as required, wherein applicable, under the rules may include digital signature".

16. In the **THE FIRST SCHEDULE** of the principal rules, -

- (a) for items numbers 2,19,26 and entries relating thereto, the following items and entries shall respectively, be substituted, namely: -

" 2	On claim under section 8(1) & (5) to proceed as an applicant or joint applicant	2	500.00
19	On application for extension of time for filing priority document under Rule 15 & Rule 18	18	200.00 (per month)
26	On petition under rule 29, 40, 47 for enlargement of time		500.00"

17. In the **THE SECOND SCHEDULE** of the principal rules,-

- (a) in the List of Forms, under the heading 'Section or Rules' against form No.-"2" for the words, figures and brackets "Section 8 (1)", the words, figures and brackets "Section 8 (1) and (5)" shall be substituted, and against form No.-"18" for the words and figures "rule 15", the words and figures "rule 15 and rule 18" shall be substituted.

(b) In Form 1, "for the words, number and brackets -

- (i) Name of country,
(ii) Official date,
(iii) Official number.", the words, numbers and brackets,

- “(i) Name of the country/inter governmental organization,
(ii) Date of filing,
(iii) Application number,
(iv) Name of the applicant” shall be substituted.

(b) at the end, after the words “THE PATENT OFFICE“ , the word “CALCUTTA” shall be omitted.

- (c) In Form 2
(i) after the words “CLAIM UNDER” for the words, figures and brackets “ SECTION 8 (1)”, the words, figures and brackets “ SECTION 8 (1) & (5) ” shall be substituted
(ii) In Form 2 to 17 and 19 to 23,-at the end, the word “CALCUTTA” shall be omitted.
(d) In Form 18,

(a) For the words, figures and brackets “[see rule 15]”, the words, figures and brackets “[see rule 15 & rule 18]” shall be substituted.

(b) In para 2 after the words “application No. _____” the words, numbers and brackets “or (ii) to extend the time period as specified under Rule 18 in respect of the application No.” shall be inserted.

(c) at the end, after the words “THE PATENT OFFICE“ , the word “CALCUTTA” shall be omitted.

(e) In all forms of the Second Schedule the words “The Designs Rules, 2001” shall be inserted at the beginning.

18. The **THIRD SCHEDULE** of the principal rules shall be substituted namely:-

“THE THIRD SCHEDULE
Classification of Good
(See rule 10)

List of Classes and Subclasses, with Explanatory Notes

CLASS 1

Foodstuffs

Notes: 1. Including foodstuffs for human beings, foodstuffs for animals and dietetic foods.
2. Not including packages (Cl. 9).

01-01 BAKERS' PRODUCTS, BISCUITS, PASTRY, MACARONI AND OTHER CEREAL PRODUCTS, CHOCOLATES, CONFECTIONERY, ICES

01-02 FRUIT AND VEGETABLES

01-03 CHEESES, BUTTER AND BUTTER SUBSTITUTES, OTHER DAIRY PRODUCE

01-04 BUTCHERS' MEAT (INCLUDING PORK PRODUCTS), FISH

01-05 [vacant]

01-06 ANIMAL FOODSTUFFS

01-99 MISCELLANEOUS

CLASS 2

Articles of clothing and haberdashery

Note: Not including articles of clothing for dolls (Cl. 21-01), special equipment for protection against fire hazards, for accident prevention and for rescue (Cl. 29), and animal clothing (Cl. 30-01).

02-01 UNDERGARMENTS, LINGERIE, CORSETS, BRASSIÈRES, NIGHTWEAR

Notes: 1. Including orthopedic corsets and body linen.

2: Not including household linen (Cl. 6-13).

02-02 GARMENTS

Notes: 1. Including all sorts of garments, and furs, bathing costumes, sports clothing and orthopedic garments, subject to the exceptions indicated under (b).

2. Not including undergarments (Cl. 2-01), or garments to be placed in Classes 2-03; 2-04; 2-05 or 2-06.

02-03 HEADWEAR

Note: Including all kinds of headwear for men, women and children.

02-04 FOOTWEAR, SOCKS AND STOCKINGS

Note: Including special boots for sports such as football, skiing and ice hockey, orthopedic footwear and socks, as well as tights, gaiters and other legwear.

02-05 NECKTIES, SCARVES, NECKERCHIEFS AND HANDKERCHIEFS

Note: Including all "flat" clothing accessories.

02-06 GLOVES

Note: Including surgical gloves and rubber or plastic protective gloves for household use or for various occupations or sports.

02-07 HABERDASHERY AND CLOTHING ACCESSORIES

Notes: 1. Including buttons, clasps for garments, for headwear and for footwear, laces, pins, hand sewing, knitting and embroidery equipment and clothing accessories such as belts, suspenders, braces.

2. Not including yarns or other threads (Cl. 5-01), decorative trimmings (Cl. 5-04), sewing, knitting and embroidery machines (Cl. 15-06) or sewing kits (containers) (Cl. 3-01).

02-99 MISCELLANEOUS**CLASS 3**

Travel goods, cases, parasols and personal belongings, not elsewhere specified

**03-01 TRUNKS, SUITCASES, BRIEFCASES, HANDBAGS, KEYHOLDERS, CASES
SPECIALLY DESIGNED FOR THEIR CONTENTS, WALLETS AND SIMILAR
ARTICLES**

Note: Not including articles for the transport of goods (Cl. 9) or cigar cases and cigarette cases (Cl. 27-06).

03-02 [vacant]

03-03 UMBRELLAS, PARASOLS, SUNSHADES AND WALKING STICKS

03-04 FANS

03-99 MISCELLANEOUS

CLASS 4

Brushware

04-01 BRUSHES AND BROOMS FOR CLEANING

Note: Not including clothes brushes (Cl. 4-02).

04-02 TOILET BRUSHES, CLOTHES BRUSHES AND SHOE BRUSHES

Note: "Toilet brushes" means brushes for corporal use; for example, for the hair, nails or teeth.

04-03 BRUSHES FOR MACHINES

Note: "Brushes for machines" means brushes incorporated in machines or in special vehicles.

04-04 PAINT BRUSHES, BRUSHES FOR USE IN COOKING**04-99 MISCELLANEOUS****CLASS 5**

Textile piecegoods, artificial and natural sheet material

Notes: 1. Including all textile or similar articles, sold by the yard and not made up..

2. Not including ready-made articles (Cl. 2 or 6).

05-01 SPUN ARTICLES

Notes: 1. Including yarn and thread.

2. Not including, for instance, rope, wire rope, string, twine (Cl. 9-06).

05-02 LACE**05-03 EMBROIDERY****05-04 RIBBONS, BRAIDS AND OTHER DECORATIVE TRIMMINGS****05-05 TEXTILE FABRICS**

Note: Including textile fabrics, woven, knitted or otherwise manufactured, tarpaulins, felt and loden.

05-06 ARTIFICIAL OR NATURAL SHEET MATERIAL

Notes: 1. Including sheets whose only characteristic features are their surface ornamentation or their texture; in particular, covering sheets such as wallpaper, linoleum, self-adhesive plastic sheets, wrapping sheets and rolls of paper, subject to the exceptions indicated under (b).

2. Not including writing paper, even in rolls (Cl. 19-01), or sheets used as building components, such as wall panels and wainscoting (Cl. 25-01).

05-99 MISCELLANEOUS

CLASS 6**Furnishing**

- Notes:** 1. Composite furniture articles embodying components included in several subclasses are classified in Class 6-05.
2. Sets of furniture, as far as they can be looked upon as one design, are classified in Class 6-05.
 3. Not including textile piecegoods (Cl. 5).

06-01 SEATS

- Notes:** 1. Including all seats even if they are suitable for laying, such as benches, couches, divans [sofas], ottomans, benches for saunas and sofas.
2. Including vehicle seats.

06-02 BEDS

- Notes:** 1. Including mattress supports.
2. Not including seats suitable for laying (Cl. 6-01), such as benches, couches, divans [sofas], ottomans, benches for saunas and sofas.

06-03 TABLES AND SIMILAR FURNITURE**06-04 STORAGE FURNITURE**

Note: Including cupboards, furniture with drawers or compartments, and shelves.

06-05 COMPOSITE FURNITURE**06-06 OTHER FURNITURE AND FURNITURE PARTS****06-07 MIRRORS AND FRAMES**

Note: Not including mirrors included in other classes (see Alphabetical List).

06-08 CLOTHES HANGERS**06-09 MATTRESSES AND CUSHIONS****06-10 CURTAINS AND INDOOR BLINDS****06-11 CARPETS, MATS AND RUGS****06-12 TAPESTRIES**

**06-13 BLANKETS AND OTHER COVERING MATERIALS, HOUSEHOLD LINEN AND
NAPERY**

Note: Including furniture covers, bedspreads and table covers.

06-99 MISCELLANEOUS

CLASS 7

Household goods, not elsewhere specified

Notes: 1. Including household appliances and utensils operated by hand, even if motor driven.

2. Not including machines and appliances for preparing food and drink (Cl. 31).

07-01 CHINA, GLASSWARE, DISHES AND OTHER ARTICLES OF A SIMILAR NATURE

Notes: 1. Including dishes and crockery in all materials; in particular, paper and cardboard dishes.

2. Not including cooking utensils and containers, such as glass and earthenware pots (Cl. 7-02), or flower vases, flower pots and china and glassware of a purely ornamental nature (Cl. 11-02).

07-02 COOKING APPLIANCES, UTENSILS AND CONTAINERS

07-03 TABLE KNIVES, FORKS AND SPOONS

**07-04 APPLIANCES AND UTENSILS, HAND-MANIPULATED, FOR PREPARING
FOOD OR DRINK**

Note: Not including appliances and utensils classified in Class 7-02 and in Class 31.

07-05 FLATIRONS AND WASHING, CLEANING AND DRYING EQUIPMENT

Note: Not including electric household appliances for washing, cleaning or drying (Cl. 15-05).

07-06 OTHER TABLE UTENSILS

07-07 OTHER HOUSEHOLD RECEPTACLES

07-08 FIREPLACE IMPLEMENTS

07-99 MISCELLANEOUS

CLASS 8**Tools and hardware**

Notes: 1. Including hand-operated tools, even if mechanical power takes the place of muscular force; for example, electric saws and drills.

2. Not including machines or machine tools (Cl. 15 or 31).

08-01 TOOLS AND IMPLEMENTS FOR DRILLING, MILLING OR DIGGING

08-02 HAMMERS AND OTHER SIMILAR TOOLS AND IMPLEMENTS

08-03 CUTTING TOOLS AND IMPLEMENTS

Notes: 1. Including tools and instruments for sawing.

2. Not including table knives (Cl. 7-03), cutting tools and implements for kitchen use (Cl. 31), or knives used in surgery (Cl. 24-02).

08-04 SCREWDRIVERS AND OTHER SIMILAR TOOLS AND IMPLEMENTS

08-05 OTHER TOOLS AND IMPLEMENTS

Note: Including tools which are not classified, or not to be placed, in other subclasses or classes.

08-06 HANDLES, KNOBS AND HINGES

08-07 LOCKING OR CLOSING DEVICES

08-08 FASTENING, SUPPORTING OR MOUNTING DEVICES NOT INCLUDED IN
OTHER CLASSES

Notes: 1. Including nails, screws, nuts and bolts.

2. Not including fastening devices for clothing (Cl. 2-07), for adornment (Cl. 11-01), or for office use (Cl. 19-02).

08-09 METAL FITTINGS AND MOUNTINGS FOR DOORS, WINDOWS AND
FURNITURE, AND SIMILAR ARTICLES

08-10 BICYCLE AND MOTORCYCLE RACKS

08-99 MISCELLANEOUS

Note: Including non-electric cables, regardless of the material of which they are made.